न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 28)

रघुवीर सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह, जाति जटसिंख, निवासी रामसरा तहसील नोहर, हाल बग्गुवाली तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

अपीलान्ट

बनाम

1. मलकीत सिह पुत्र चन्दसिह, जाति जटसिंख निवासी रामसरा तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ (राज.)। (मृतक)
   - 1/1 सुखदेव कौर पत्नि स्व. श्री मलकीतसिह, जाति जटसिंख निवासी रामसरा, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ हाल निवासी पिण्ड बगुवाली, जिला सिरसा, हरियाणा।
   - 1/2 गुरदीपसिंह पुत्र स्व. श्री मलकीतसिह, जाति जटसिंख निवासी रामसरा, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ हाल निवासी पिण्ड बगुवाली, जिला सिरसा, हरियाणा।
   - 1/3 जगदीपसिह पुत्र स्व. श्री मलकीतसिह, जाति जटसिंख निवासी रामसरा, तहसील नोहर, हनुमानगढ हाल निवासी पिण्ड बगुवाली, जिला सिरसा, हरियाणा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री हरिश मदान – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1/1, 1/2, 1/3

निर्णय **दिनांकः 06.02.2026**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 26.09.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ के प्रकरण संख्या 25/2022 अनवान रघुवीर सिह बनाम मलकीत सिह वगैरह के निर्णय दिनांक 26.09.2023 एवं तहसीलदार (भू.अ.) नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2016 जिसमें इन्तकाल संख्या 615 दर्ज किया गया है, को अपास्त कर तहसीलदार नोहर को आदेश पारित किया जावे कि खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अपीलान्ट

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के पिता नक्षत्रसिह एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर विवादित कृषि भूमि को दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से मे चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 78/80 के प.नं. 334/408 (64) के किला नंबर 1 ता 4 की 1.012, 5/.228 नहरी 0.025 गै.मु. खाला, प. नं. 335/408 (63) के कि.नं. 1 की 0.253 कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि मुस्तरका खातेदार बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त हुई। खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के अनुसार इंतकाल दर्ज होना चाहिये था किन्तु तहसीलदार नोहर के द्वारा 26.09.2016 को इन्तकाल संख्या 615 चक 16 जे.एस.एन. में अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिह का नाम छोड़ते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम संपूर्ण भूमि दर्ज कर दी, जबकि संपूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से कभी भी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि दोनो भाईयो के मध्य राजीनामा रहा होगा एवं नक्षत्रसिह की भूमि जिसके कारण मलकीतसिह के हिस्से मे आई होगी, के कयास के आधार पर इंतकाल में दर्ज होना सही माना है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को कयास के आधार पर किसी प्रकार से निर्णय कानूनन पारित नही किया जाना चाहिए, इस प्रकार दोनो आदेश /निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के द्वारा मियाद के बिन्दु पर अपने निर्णय में यह दर्शाया है कि मियाद के बिन्दु पर रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त लागू होते है, जबकि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। उस प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई जवाब रेस्पोडेन्ट की ओर से नही आया और ना ही शपथ पत्र के रिबट में किसी प्रकार से कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर तहसीलदार नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2016 जिसमें इन्तकाल संख्या 615 रोही चक 16 जे.एस.एन. विधि विरूद्व दर्ज किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2023 को निरस्त फरमाया जाकर कर तहसीलदार नोहर को आदेश पारित किया जावे कि खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिह एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर विवादित कृषि भूमि को दर्ज करे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2008 (2) RRT 850, (2002) AIR (Raj) 66, Rajasthan HIgh Court का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपील आदेश के विरूद्व पेश होती है जबकि उक्त अपील एग्जीक्यूशन के खिलाफ पेश की गई है। यह अपील डिफेक्टिव है। तहसीलदार नोहर का खाता विभाजन परस्पर सहमति से दर्ज आदेश दिनांक 16.09.2016 का है इसकी पालना मे इन्तकाल दिनांक सं. 615 दिनांक 26.09.2016 को भरा गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल आदेश दिनाक 16.09.2016 की अपील नही कर उक्त आदेश की पालना में भरा गया इन्तकाल की अपील पेश की । सैक्शन 96 (3) सी पी सी में स्पष्ट प्रावधान है। इस कारण अपील मूल आदेश के विरूद्व पेश नही होने के कारण इसी स्तर पर चलने योग्य ना होने से अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने अपील पेश करने से पूर्व अनुमति सैक्शन 96 सी. पी. सी. के तहत प्राप्त नही की थी, क्योकि अपीलान्ट रघुवीरसिंह अधीनस्थ न्यायालय में पार्टी नही था उसके पिता पार्टी थे। अतः अपील इनकम्पीटेन्ट होने, अपील लाई नही करने तथा मैन्टेनेबल नही होने एवं डिफेक्टिव होने से इसी स्तर पर अपील को खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1993 पृष्ठ 232, RRD 2002 पृष्ठ 330, RRD 2008 पृष्ठ 755, RRD 1999 पृष्ठ 98, RRD 2011 पृष्ठ 386, RRD 1984 पृष्ठ 261, RRD 1999 पृष्ठ 619, RRD 2008 पृष्ठ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

225, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पेज 93, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की बहस का प्रतिउत्तर देते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने प्रथम अपील अति. जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2023 के विरूद्व पेश की है, जिसकी द्वितीय अपील धारा 76 एल आर एक्ट के तहत अपील के सुनवाई का अधिकार न्यायालय को है। मलकीतसिह एवं नक्षत्रसिह के मध्य जो कृषि भूमि का खाता विभाजन आपसी सहमति के आधार पर हुआ, जिस पर पटवारी एवं तहसीलदार दोनो के हस्ताक्षर है। नक्षत्रसिह का नाम छोड़कर केवल मलकित सिह के नाम पूरी जमीन कर दी। उस आधार पर इंतकाल 615 दर्ज किया गया, जिसके विरूद्व अपील पेश की गई है जो मेन्टेनेबल है। अपीलान्ट नक्षत्र सिह के एक मात्र वारिस है। अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार था एवं है क्योकि जिस आधार पर समझोता खाता विभाजन हुआ इसमें पक्षकार था, किन्तु खाता विभाजन के अनुसार इंतकाल दर्ज नही किया, जिसके कारण प्रथम अपील पेश की थी जिसमे रेस्पोडेन्ट का ऐसा कोई ऐतराज नही था। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 75 एल आर एक्ट मे अपील पेश की, सैक्शन धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया । आदेश के विरूद्व अपील पेश नही की गई । आदेश की पालना गलत हुई है, इन्तकाल दर्ज करने मे तहसीलदार ने स्वय पालना नही की है। इन्तकाल गलत दर्ज कर दिया उसके विरूद्व अपील पेश की थी। अति. जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 26.09.2023 के विरूद्व अपील धारा 76 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय मे पेश की गई जो लाई करती है। रेस्पोडेन्ट मुख्य बिन्दु पर बहस ना करके येन केन प्रकरण को उलझाना चाहता है।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 26.09.2023 एवं तहसीलदार (भू.अ.) नोहर के निर्णय दिनांक 26.09.2016 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2023 एवं 26.09.2016 को खारिज कर खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के अनुसार कृषि भूमि दर्ज करने का निवेदन गया है। पत्रावली के दस्तावेज अवलोकन से पाया कि प्रकरण सहमति से विभाजन के पश्चात नामान्तरकरण से संबधित है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा केवल मियाद बिन्दु पर निर्णय पारित करते हुए अपील को खारिज कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में मियाद के साथ तथ्यो को ध्यान रखते हुए मेरिट पर निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का अपीलाधीन निर्णय 26.09.2023 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर की अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2023 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, प्रकरण मे तथ्यो को घ्यान रखते हुए पुनः मेरिट पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर